मेरठ विकास प्राधिकरण

की

91वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 03–06–2010

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 91वीं बैठक दिनांक 03–06–2010 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 91वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के कैम्प कार्यालय में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 03–06–2010 को अपरान्ह 5.00 बजें से प्रारम्भ होकर 6.30 बजें तक सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.	श्री जे0सी0 आदर्श,	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
2.	श्री भुवनेश कुमार	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	श्री डी0 के सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।	सदस्य
4.	श्री कैलाश चन्द्र,	अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) मेरठ।	सदस्य
5.	श्री एच0एन0शुक्ला	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव वित्त।	सदस्य
6.	श्री विनोद कुमार	अपर निदेशक, जिला उद्योग, मेरठ।	सदस्य
7.	श्री ए0के0 त्यागी	प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0 सी0 आर0, गाजियाबाद।	सदस्य
8.	श्री डी0सी0 गुप्ता	सहयुक्त नियोजक, मेरठ प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
9.	श्री किशन सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य
10.	श्री यू0के0तायल	अधीक्षण अभियंता, जल निगम, मेरठ।	सदस्य

11. श्री उमेश मित्तल, अधीक्षण अभियन्ता, आवास एवं विकास परिषद, मेरठ। सदस्य

12. श्री अनुराग पटेल सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ। संयोजक

प्राधिकरण की 90वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31–03–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि–

प्राधिकरण की 90वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31–03–2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

अनुपूरक प्रस्ताव, 76वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या– 3

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि गत बोर्ड बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार श्रद्धापुरी फेस–2 आवासीय योजना एवं डिफेन्स एन्कलेव योजना में रूपये 1,77,79,184.50 एवं रूपये 1,71,50,970.50 के उल्लिखित कार्यो का टेण्डर इत्यादि कराकर उल्लिखित कार्य शीघ्र कराकर उक्त कालोनियों को नगर निगम को हस्तान्तरित कराने की कार्यवाही की जाये।

प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –2

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि सम्बन्धित बारातघरों के विरूद्ध एक माह के अन्दर सुनवाई पूरा करके एवं उनके विरूद्ध यथा अपेक्षित वैधानिक आदेश पारित करते हुए सम्बन्धित बारातघरों के विरूद्ध सील/शमन/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

प्राधिकरण की 82वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –8

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि बोर्ड बैठक में दिये गये निर्देशों का उल्लेख करते हुए मेरठ–दिल्ली बाई पास पर बने अवैध निर्माण को हटाने हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित किया जाय तथा उक्त चिन्हित/निर्मित 65 अवैध निर्माणों के अतिरिक्त ग्रीन वर्ज में अन्य जो अवैध निर्माण हो गये हैं, उनके विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें सुनवाई का मौका देते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया जाये

तथा ध्वस्तीकरण के उपरान्त साप्ताहिक कार्य–क्रम नियत करके उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये।

प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

अनुपूरक मद सं0 2

बैठक में तहसीलदार, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण के अतिरिक्त प्रतिकर के रूप में बकाया धनराशि से सम्बन्धित 17 आवासीय योजनाओं की प्रतिकर की धनराशि का मिलान हो चुका हैं तथा प्रतिकर धनराशि के मिलान हेतु शताब्दीनगर आवासीय योजना शेष रह गयी हैं जिसके अभिलेख पूर्व में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (आवास) मेरठ के कार्यालय में है और सम्प्रति उक्त कार्य अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) मेरठ द्वारा देखा जा रहा हैं। माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि उक्त अभिलेख अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) अविलम्ब प्रतिकर की धनराशि का मिलान कराने हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करा दें। बैठक में डिक्रीटल धनराशि के रूप में रूपये 6,40,02,732.95 की देयता तथा लगभग 4 करोड़ की अभिनिर्णय की देयता बतायी गयी जिसे माननीय बोर्ड द्वारा सम्यक् जाँच एवं मिलान के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया। उपर्युक्त डिक्रीटल एवं अभिनिर्णय की धनराशि का भुगतान मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) को कर दिये जाने के उपरान्त मेरठ विकास प्राधिकरण को आगामी योजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण के बावत् बकायादार न मानते हुए अर्ह माना जायेगा। ब्याज के बिन्दु पर माननीय बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि ब्याज की बकाया धनराशि के रूप में मेरठ विकास प्राधिकरण, अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) को एक करोड़ रूपये उपलब्ध करा दे इसके वितरण के उपरान्त जो भी धनराशि ब्याज के रूप में किसानों को दिया जाना प्रस्तावित किया जाय, अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) द्वारा उसकी माँग किसानों की सूची संलग्न करते हुए मेरठ विकास प्राधिकरण से की जायेगी और तदनुसार समय–समय पर मेरठ विकास प्राधिकरण मांग के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराता रहेगा।

प्राधिकरण की 89वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद संख्या –7

माननीय बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना, वेद व्यासपुरी तथा लोहियानगर योजनाओं के बीच–बीच में अर्जन से छूटे खसरा नम्बरों के समस्त कृषकों की उपाध्यक्ष, मेरठ विकास

प्राधिकरण अपने स्तर से एक बैठक बुला लें और सभी सम्बन्धित कृषकों से उनकी भूमि का मेरठ विकास प्राधिकरण की योजना में समायोजित करने के सम्बन्ध में सहमति प्राप्त कर लें और सहमति उपरान्त जो भी स्थिति उभर कर आये उसे अगली बोर्ड बैठक में विचारार्थ रखा जाय।

<u>प्राधिकरण की 91वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव–</u>

मद संख्या– 1

प्रस्तावित मेरठ अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना हेतु चिन्हित भूमि को मेरठ महायोजना–2021 में समायोजन हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनुमोदन दिया गया कि उपर्युक्त प्रस्ताव की फिजिविल्टी का भी परीक्षण कर लिया जाय तथा मेरठ महायोजना 2010 में अलग–अलग चिन्हित भू–उपयोगों में जिस भू–उपयोग का जितना भाग परिवर्तित हो रहा हैं उस भू–उपयोग के उतने क्षेत्रफल को मेरठ महायोजना 2010 में समायोजित करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड बैठक में लाया जाये।

मद संख्या– 2

लिंक एक्सप्रेस–वे को मेरठ महायोजना–2010 के समायोजन हेतु भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

मद संख्या– 3

डा0 भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी के विस्तार हेतु प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना में बल्क रेट पर भूमि दिया जाना।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या– 4

सैनिक विहार योजना की पाकेट डी तलपट मानचित्र संशोधन के संबंध में।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मद संख्या– 5

मेरठ विकास प्राधिकरण की वेद व्यासपुरी, शताब्दीनगर तथा डा0 राम मनोहर लोहिया नगर योजना में गैस एथारिटी ऑफ इण्डिया लि0 (गेल) को सी.एन.जी. स्टेशन की स्थापना हेतु व्यावसायिक भूमि का आवंटन।

बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि गैस एथारिटी ऑफ इण्डिया लि0 (गेल) जिस प्रयोजन हेतु उपर्युक्त भूमि प्राप्त कर रही है उसका उपयोग उसी रूप में करेगी। उसका उपयोग अपने कर्मचारियों/अधिकारियों के आवास इत्यादि इतर रूप में नहीं किया जायेगा। यदि गैस एथारिटी ऑफ इण्डिया लि0 (गेल) प्रस्तावित भूमि का इतर उपयोग करेगी तो भविष्य में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा गेल के साथ किये गये संविदा को भंग करके भूमि वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी।

मद संख्या– 6

प्राधिकरण की गंगानगर आवासीय योजना में अर्जित भूमि के आवंटियों से की गयी अतिरिक्त प्रतिकर की मांग पर आवंटियों की रिट याचिका संख्या 31631/2005 में पारित निर्णय दिनांक 29–4–2005 के क्रम में प्रत्यावेदन निस्तारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ब्याज की माफी हेतु विलम्ब से प्रस्ताव रखने हेतु खेद व्यक्त किया गया तथा इस शर्त के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया कि दिनांक 29–4–2005 को पारित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रत्यावेदकों के प्रत्यावेदन निरस्तारण में हुए विलम्ब हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारित करके आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मद संख्या– 7

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन योजना के अन्तर्गत सॉलिड़ वेस्ट मैनेजमेन्ट एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की स्थापना हेतु भूमि अर्जन पर आने वाले व्यय को वहन किये जाने के सम्बन्ध में

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

मद संख्या– 8

भारत सरकार की अधिसूचना सं0 एस–61011/9/95–आर डब्लू दिनांक 12–10–1998 के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी राजाज्ञाओं को प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव।

माननीय बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

अनुपूरक मद संख्या – 1

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत नगरीय परिवहन परियोजना हेतु डिपो, कार्यशाला एवॅ बस टर्मिनल के लिये भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्राधिकरण बोर्ड ने उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया हैं कि भविष्य में यदि यह योजना कतिपय कारणों से सफल नहीं होती हैं एवं प्रदत्त भूमि का उपयोग चिन्हित प्रयोजन हेतु नहीं किया जाता हैं तो यह भूमि विभाग द्वारा प्राधिकरण को वापस कर दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

5/6/2010
(अनुराग पटेल)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

5-6-2010
(जे0सी0आदर्श)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(श्रवण कुमार शर्मा)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।